बिन्दु संख्या–13

उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 एक व्यवसायिक संस्था है। होटल व्यवसाय में निजी उद्यमियों से प्रतिस्पर्धा को दृष्टिगत रखते हुए व्यवसायिक हित में इकाई के प्रबन्धकों/प्रभारियों को आवासीय एवं खान–पान सुविधा में व्यवसाय को दृष्टिगत रखते हुए अपने विवेकानुसार छूट देने के अधिकार प्रदान किए गए हैं। इनसे संबंधित आदेश (यहां क्लिक करें)

उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
सी–13 विपिन खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

पत्रांकः 1461 / मार्केटिंग–10 / 2003 दिनाँकः 07 / 08 / 2003

–:कार्यालय आदेशः–

कार्यालय आदेश सं0–4240 / मार्केटिंग–10–114 / 2003 दिनांक 24 जनवरी, 2003 का अतिक्रमण करते हुए इकाई पर आने वाले पर्यटकों, व्यवसाय देने वाले व्यक्तियों / संस्थाओं (ट्रैवेल एजेण्ट / टूर आपरेटर्स / निगम द्वारा नियुक्त मार्केटिंग एजेण्ट्स को छोड़कर) को छूट दिये जाने के सम्बन्ध में निम्नांकित शर्तों के अधीन इकाई के प्रबन्धकों / प्रभारियों को एजद्द्वारा निम्न अधिकार प्रदान किए जाते हैंः–

1. आवासीय सुविधा पर छूट देने के अधिकार– इकाई पर नियमित रूप से आने वाले पर्यटकों, दस या अधिक व्यक्तियों के ग्रुप नियमित रूप से व्यवसाय देने वाले व्यक्तियों / संस्थाओं, (ट्रैवेल एजेण्ट / टूर आपरेटर्स / निगम द्वारा नियुक्त मार्केटिंग एजेण्ट्स को छोड़कर) को उनके द्वारा ली गई आवासीय सुविधा से सम्बन्धित बीजकों पर स्वयं के विवेकानुसार इकाई हेतु निर्धारित टैरिफ पर अब केवल अधिकतम 25 (पच्चीस) प्रतिशत तक की छूट देने के लिए इकाई प्रबन्धकों / प्रभारियों को अधिकार दिये जाते है। यह अधिकार निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगेंः–

   - अग्रिम आरक्षण केन्द्र / अपटुअर्स / ट्रेवेल एजेण्ट / टूर आपरेटर्स एवं निगम द्वारा नियुक्त मार्केटिंग एजेण्ट्स द्वारा दी गई आवासीय बुकिंग पर उक्त अधिकारों के तहत कोई छूट नहीं दी जायेगी।
   - जिन बिलों पर उक्त छूट दी जायेगी उन पर सम्बन्धित ग्रुप पर्यटक, व्यक्ति / संस्था का पूर्ण नाम पत अंकित किया जायेगा।
   - जिन बिलों पर छूट दी जायेगी उन पर दी गयी छूट का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा तथा सम्बन्धित ग्रुप पर्यटक, व्यक्ति / संस्था से छूट प्राप्त करने की पुष्टि के प्रमाण स्वरूप सम्बन्धित बिल पर यह अंकित कराते हुए कि उन्होंने कितने प्रतिशत छूट प्राप्त की है, हस्ताक्षर कराये जायेंगें।
   - उक्त छूट के अतिरिक्त प्रिविलेज कार्ड / अन्य किसी योजना को मिलाकर उपरोक्त इंगित अधिकतम सीमा से अधिक छूट अनुमन्य नहीं की जायेगी।

2. रेस्टोरेन्ट के व्यवसाय पर छूट देने के अधिकार–इकाई पर नियमित रूप से आने वाले पर्यटकों, नियमित रूप से व्यवसाय देने वाले व्यक्तियों / संस्थाओं (ट्रैवेल एजेन्ट / टूर आपरेटर्स / निगम द्वारा नियुक्त मार्केटिंग एजेण्टस को छोड़कर) को अलाकार्ड मीनू पर व्यवसाय का दृष्टिगत रखते हुए अपने विवेकानुसार इकाई के प्रबन्धकों / प्रभारियों का अधिकतम 10 प्रतिशत छूट देने के अधिकार निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन दिए जाते हैः–

   - अग्रिम आरक्षण केन्द्र / अपटूर्स ट्रैवेल्स एजेण्ट / टूअर आपरेटर, निगम द्वारा नियुक्त मार्केटिंग एजेण्ट से प्राप्त व्यवसाय पर उक्त छूट नही दी जायेगी।

- जिन बिलों पर उक्त छूट दी जायेगी उन पर सम्बन्धित ग्रुप, पर्यटक, व्यक्ति/संस्था का पूर्ण नाम, पता अंकित किया जायेगा ।
- जिन बिलों प छूट दी जायेगी उन पर, दी गयी छूट का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा तथा सम्बन्धित ग्रुप पर्यटक, व्यक्ति/संस्था से छूट प्राप्त करने की पुष्टि के प्रमाण स्वरूप सम्बन्धित बिल पर यह अंकित कराते हुए कि उन्होंने कितने प्रतिशत छूट प्राप्त की है हस्ताक्षर कराये जायेगे।
- इकाई की फूडकास्ट निर्धारित मानक से अधिक नही होनी चाहिए।
- उक्त छूट के अतिरिक्त प्रिवलेज कार्ड/अन्य किसी योजना को मिलाकर उपरोक्त इंगित अधिकतम सीमा से अधिक छूट अनुमन्य नही की जायेगी।

3. बार के व्यवसाय पर छूट देने के अधिकार–दस या अधिक व्यक्तियों के ग्रुप द्वारा ली गयी बार सुविधा/नियमित रूप से आने वाले पर्यटकों/नियमित रूप से व्यवसाय देने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं (ट्रैवेल एजेण्ट/टूर आपरेटर्स/निगम द्वारा नियुक्त मार्केटिंग एजेण्टस को छोड़कर) को बार की मीनू दरों पर व्यवसाय को दृष्टिगत हुए अपने विवेकानुसार इकाई प्रबन्धकों/प्रभारियों को अधिकतम 10 प्रतिशत छूट देने का अधिकार निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन दिये जाते हैः–

- अग्रिम आरक्षण केन्द्र/अपटूअर्स ट्रैवेल एजेण्ट/टूअर आपरेटर्स निगम द्वारा नियुक्त मार्केटिंग एजेण्टस से प्राप्त व्यवसाय पर उक्त छूट नही दी जायेगी।
- जिन बिलों पर उक्त छूट दी जायेगी उन पर संम्बन्धित ग्रुप, पर्यटक, व्यक्ति/संस्था का पूर्ण नाम, पता अंकित किया जायेगा।
- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि छूट के अधिकारों के उक्त अधिकतम सीमा से प्रिवेलज कार्ड तथा मुख्यालय द्वारा अन्य किसी योजना/प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदत्त छूट के अधिकार भी सम्मिलित है अर्थात प्रबन्धकों/प्रभारियों द्वारा सभी योजनाओं/प्राविधानों को मिलाकर उपरोक्त इंगित अधिकतम सीमा से अधिक छूट अनुमन्य नही की जायेगी।
- जिन बिलों पर छूट दी जायेगी उन पर, दी गयी छूट का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा तथा सम्बन्धित ग्रुप पर्यटक, व्यक्ति/संस्था से छूट प्राप्त करने की पुष्टि के प्रमाण स्वरूप सम्बन्धित बिल पर यह अंकित कराते हुए कि उन्होंने कितने प्रतिशत छूट प्राप्त की है हस्ताक्षर कराये जायेंगे।
- इकाई की ओवर आल बार कास्ट निर्धारित मानक से अधिक नही होनी चाहिए ।

4. केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभागों/सार्वजनिक निगमों/बैंकों/बीमा कम्पनियों/वित्तीय संस्थाओं यथा एच0डी0एफ0सी0, आई0सी0आई0सी0आई0, आई0डी0बी0आई0/कारर्पोरेट सेक्टर के अधिकारियों /कर्मचारियों को छूट देने के सम्बन्ध में समय–समय पर, जो पृथक–पृथक स्वीकृतियॉ मुख्यालय द्वारा दी गयी है उसी के अनुरूप ही छूट दी जायेगी, ऐसे प्रकरणों में उक्त के अतिरिक्त प्रबन्धकों/प्रभारियों द्वारा अपने अधिकारों के अन्तर्गत पृथक से कोई छूट नही दी जायेगी।

प्रबन्धकों/प्रभारियों को उक्त अधिकार इस उद्देश्य से दिये जा रहे है कि इकाई की आय (टर्न ओवर) तथा लाभ दोनों में वृद्वि हो। अतः सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त अधिकारों के फलस्वरूप इकाई के आय/टर्न ओवर एवं लाभ दोनों में वृद्वि ही एवं

व्यवसायहित में ही अधिकारों का प्रयोग किया जाये। इकाई पर यह भी सूचना रखी जायेगी कि उक्तानुसार छूट दिये जाने के फलस्वरूप इकाई व्यवसाय तथा आकुपेन्सी में क्या वृद्वि हुई है तथा कितने व्यक्तियों को छूट प्रदान की गई है। उक्तानुसार दी गई छूट इकाई का आयगत व्यय माना जायेगा, और इकाई के अभिलेखों में तद्नुसार दर्शाया जायेगा।

यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

(डा0 अजय शकर पाण्डेय)
अधिशांसी निदेशक

पृ0प0 सं0:–1461मार्केटिंग–10–2003::समदिनांकित ।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त प्रबन्धक/प्रभारी पर्यटक आवास गृह, होटल, मोटल, एवं कैफेटेरिया, शिल्पग्राम ।
2– समस्त अग्रिम आरक्षण केन्द्र/अपटुअर्स, उ0प्र0 पर्यटन ।
3– समस्त अधिकारी, निगम मुख्यालय ।
4– प्रभारी, कम्प्यूटर, निगम मुख्यालय ।
5– आदेश पंजिका ।

(डा0 अजय शंकर पाण्डेय)
अधिशांसी निदेशक

mRrj izns'k jkT; i;ZVu fodkl fuxe fy0
jktf"kZ iq:"kksRre nkl V.Mu i;ZVu Hkou
lh&13] fofiu [k.M] xkserh uxj] y[kuÅA
Qksu ua0- 0522&2308916] QSDl ua0&0522&2308937

पत्रांकः— 1458 /मार्केटिंग—10/2003 दिनांकः— 07/08/2003

:—कार्यालय आदेशः—

कार्यालय आदेश सं0 3250/मार्केटिंग—10/98 दिनांक 06 जुलाई 1998 को अतिक्रमित करते हुए ट्रैवेल्स एजेण्ट/टूर आपरेटर्स (जो निगम के अधिकृत मार्केटिंग एजेण्ट नियुक्त नही है) को कमीशन/क्रेडिट उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में एतद्द्वारा निम्न नीति का निर्धारण किया जाता हैः—

1:— टूर आपरेटर/ट्रैवेल एजेन्ट द्वारा दी गई बुकिंग सम्बन्धित इकाई हेतु निर्धारित टैरिफ पर की जायेगी, अर्थात निर्धारित टैरिफ पर कोई छूट नही दी जायेगी।

2— आवासीय मद में एक लाख तक के व्यवसाय पर 10 (दस) प्रतिशत का कमीशन दिया जायेगा। एक वित्तीय वर्ष में प्रति इकाई एक लाख से अधिक परन्तु तीन लाख से कम का व्यवसाय दिये जाने पर एक लाख से अधिक के व्यवसाय पर 15 (पन्द्रह) प्रतिशत कमीशन दिया जायेगा तथा तीन लाख से अधिक व्यवसाय दिये जाने पर तीन लाख से ऊपर के व्यवसाय पर 20 (बीस) प्रतिश कमीशन दिया जायेगा।

3— भारत सरकार से मान्यता प्राप्त ट्रैवेल एजेन्ट/टूअर आपरेटर को निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन क्रेडिट की सुविधा उनके द्वारा दिये जाने वाले व्यवसाय को दृष्टिगत रखते हुए प्रबन्धक/प्रभारी अपने विवेकानुसार उपलब्ध करायेंगेः—

अ— क्रेडिट की सुविधा भारत सरकार से मान्यता प्राप्त ऐसे ट्रैवेल एजेन्ट/टूअर आपरेटर को ही दी जायेगी जो गत तीन वर्ष से निरन्तर निगम की इकाई को व्यवसाय दे रहे हों। यह प्रतिबन्ध नई मान्यता प्राप्त करने वाले ट्रैवेल एजेन्ट/टूअर आपरेटर्स के सम्बन्ध में लागू नही होगा।

ब— ट्रैवेल एजेन्ट/टूअर आपरेटर को अधिकतम एक लाख तक की क्रेडिट की सुविधा प्रबन्धक/प्रभारी अपने स्तर से देने के लिए अधिकृत होंगे।

स— क्रेडिट की सुविधा भारत सरकार से मान्यता प्राप्त ऐसे ट्रैवेल एजेन्ट/टुअस आपरेटर्स को ही दी जायेगी जिनके विरूद्व पिछली कोई धनराशि बकाया न हो।

द— क्रेडिट की सुविधा अधिकतम साठ दिनांक के लिए अनुमन्य होगी। निर्धारित समय के अन्दर भुगतान प्राप्त न होने पर अवशेष धनराशि पर अठ्ठराह प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लिया

जायेगा। समय से भुगतान न करने वाले ट्रैवेल एजेन्ट/टुअर आपरेटर को आगे की क्रेडिट सुविधा तब तक नही दी जायेगी जब तक पिछले बकाये की वसूली न हो जाये।

य– प्रबन्धक का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह ट्रैवेल एजेन्ट/टूअर आपरेटर से लिखित आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद ही उपरोक्त समस्त शर्तो से उन्हें भली भॉति अवगत कराने के पश्चात् एवं उनकी इस पर सहमति प्राप्त होने के उपरान्त क्रेडिट की सुविधा उपलब्ध करायेगे।

र– प्रदान की गयी क्रेडिट सुविधा के समय से वसूली करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित प्रबन्धक का होगा। क्रेडिट सुविधा से सम्बन्धित समस्त बिलों आदि को सम्बन्धित ट्रैवेल एजेन्ट/टूअर आपरेटर के अधिकृत प्रतिनिधि से सुविधा के आरक्षण/उपभोग करने के प्रमाण स्परूप सत्यापन एवं हस्ताक्षर कराये जायेगे।

ऐसे ट्रैवेल एजेन्ट/टूअर आपरेटर जा भारत सरकार से मान्यता प्राप्त नही है की क्रेडिट सुविधा बैंक गारण्टी प्राप्त करने के उपरान्त ही निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जायेगीः–

अ– ऐसे ट्रैवेल एजेन्ट/टूअर आपरेटर की जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त नही है, को क्रेडिट उस सीमा तक उपलब्ध कराया जायेगा, जितनी धनराशि की उन्होंने बैंक गारन्टी दी है। प्रबन्धक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि बैंक गारण्टी का समय से नवीनीकरण हो। यदि किसी ट्रैवेल एजेन्ट/टूअर आपरेटर द्वारा समय से भुगतान नही किया जाता है तो सम्बन्धित बैंक से भुगतान प्राप्त करने की कार्यवाही भी समय से प्रबन्धक सुनिश्चित करेंगे।

ब– ऐसे ट्रैवेल एजेन्ट/टूअर आपरेटर जिनके विरूद्व पिछला कोई बकाया हो, की क्रेडिट की सुविधा नही दी जायेगी।

स– क्रेडिट की सुविधा अधिकतम् साठ दिनों के लिए अनुमन्य होगी। निर्धारित समय के अन्दर भुगतान प्राप्त न होने पर अवशेष धनराशि पर अठ्ठारह प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लिया जायेगा। समय से भुगतान न करने वाले ट्रैवेल एजेन्ट/टूअर आपरेटर को आगे क्रेडिट सुविधा तब तक नही दी जायेगी जब तक पिछले बकाये की वसूली न हो जाये।

द– प्रबन्धक यह उत्तरदायित्व होगा कि वह ट्रैवेल एजेन्ट/टूअर आपरेटर्स से लिखित आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद ही उपरोक्त समस्त शर्तो से उन्हें भली–भॉति अवगत कराने के पश्चात् एवं उनकी इस पर सहमति प्राप्त होने के उपरान्त क्रेडिट की सुविधा उपलब्ध करायेगे।

य– प्रदान की गयी क्रेडिट सुविधा की समय से वसूली करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित प्रबन्धक का होगा। क्रेडिट सुविधा से सम्बन्धित समस्त बिलों आदि को सम्बन्धित ट्रैवेल एजेन्ट/टूअर आपरेटर के अधिकृत प्रतिनिधि से सुविधा के आरक्षण/उपभोग करने के प्रमाण स्वरूप सत्यापन एवं हस्ताक्षर कराये जायेगे।

5– ट्रैवेल एजेन्ट/टूअर आपरेटर का पूर्ण नाम, पता उनके द्वारा दिया गया व्यवसाय एवं प्राप्त की गयी सुविधाओं, इस सम्बन्ध में देय कमीषन तथा भुगतान किये गये कमीशन का पूर्ण विवरण अभिलेखों में सम्बन्धित इकाई द्वारा रखा जायेगा। कमीशन का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से ट्रैवेल एजेन्ट/टूअर आपरेटर को किया जायेगा तथा उसकी प्राप्ति अभिलेखों में रखी जायेगी।

6– ट्रैवेल एजेन्ट/टूअर आपरेटर को सम्बन्धित इकाई द्वारा कमीशन का भुगतान तभी किया जायेगा जबकि सम्बन्धित बिलों का पूर्ण भुगतान उससे उससे प्राप्त हो गया हो।

7– ट्रैवेल एजेन्ट/टूअर आपरेटर से प्राप्त व्यवसाय के विरूद्व उन्हें कमीशन का जो भुगतान किया जायेगा उस पर आयकर अधिनियम के लागू प्राविधानों के अनुसार निर्धारित दरों से श्रोत पर आयकर की कटौती की जायेगी। श्रोत पर की गयी आयकर कटौती का पूर्ण विवरण धनराशि के ड्राफ्ट सहित प्रत्येक माह की 5 तारिख तक निगम मुख्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा, क्योंकि आयकर का भुगतान प्रत्येक माह 7 तारीख तक आयकर कार्यालय में जमा कराना होता है।

8– ट्रैवेल एजेन्ट/टूअर आपरेटर से अग्रिम आरक्षण हेतु कोई सर्विस चार्ज नही लिया जायेगा।

उक्त आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

(डा0 अजय शंकर पाण्डेय)
अधिशांसी निदेशक

<u>पृ0प0 सं0:–1458 /मार्केटिंग–10–2003::समदिनांकित ।</u>

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त प्रबन्धक/प्रभारी पर्यटक आवास गृह, होटल, मोटल, रेस्टोरेन्ट एवं कैफेटेरिया, शिल्पग्राम।
2– समस्त अग्रिम आरक्षण केन्द्र/अपटुअर्स, उ0प्र0 पर्यटन ।
3– समस्त अधिकारी, निगम मुख्यालय ।
4– प्रभारी, कम्प्यूटर, निगम मुख्यालय ।
5– आदेश पंजिका ।

(डा0 अजय शंकर पाण्डेय)
अधिशांसी निदेशक

उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
सी–13 विपिन खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

पत्रांकः 4113/मार्केटिंग–10–71/2009 दिनाँकः 08 जनवरी, 2010

–:कार्यालय आदेशः–

दिनांक 27.11.2009 को आहूत अपटूअर्स के कार्यकलापों की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार मुख्यालय के आदेश संख्या–1462/मार्केटिंग–10/2003 दिनांक 07.08.2003 को निम्नवत् संशोधित किया जाता हैः–

1. अपटुअर्स कार्यालयों से प्राप्त बुकिंग पर पर्यटकों से निगम के टैरिफ के अतिरिक्त कोई सर्विस चार्ज नहीं लिया जायेगा।

2- अपटुअर्स कार्यालयों से इकईयों हेतु की गई बुकिंग पर सम्बन्धित इकाई (जिस इकाई हेतु बुकिंग की गयी हो) द्वारा सम्बन्धित अपटुअर्स (जिनके द्वारा बुकिंग की गयी हो) को 15 (पन्द्रह) प्रतिशत के स्थान पर अब 20 (बीस) प्रतिशत की दर से कमीशन दिया जायेगा। यह कमीशन केवल एफ.आई.टी. बुकिंग पर ही लागू होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी टूर आपरेटर/ट्रैवेल एजेण्ट/मार्केटिंग एजेण्ट द्वारा अपटुअर्स के माध्यम से इकाई हेतु बुकिंग कराई जाती है तो ऐसी बुकिंग पर अपटुअर्स को कोई कमीशन अनुमन्य नहीं होगा।

3- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सेल्स रिप्रजेन्टेटिव के माध्यम से प्राप्त व्यवसाय पर अपटुअर्स कोई कमीशन अनुमन्य नहीं होगा।

4- जिन मामलों में बुकिंग निरस्त होगी जायेगी उन पर भी कोई कमीशन अनुमन्य नहीं होगा।

5- उक्तानुसार अनुमन्य कमीशन संबंधित अपटुअर्स की आय मानी जायेगी। कमीशन की धनराशि को सम्बन्धित अपटुअर्स द्वारा बुकिंग से प्राप्त धनराशि के विरूद्ध समायोजित किया जायेगा तथा शेष सम्बन्धित इकाई को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।

6- उक्त कमीशन भुगतान करने वाली इकाई का व्यय, आयगत व्यय (रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर) माना जायेगा तथा तद्नुसार इकाईयां इपने अभिलेखों में इसे दर्शायेंगी।

उक्त आदेश दि0 01.01.2010 से प्रभावी होगें।

(अवनीश कुमार अवस्थी)
प्रबन्ध निदेशक

पृ0प0सं0–4113/मार्केटिंग–10–71/2010 :: समदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त प्रबन्धक/प्रभारी, राही पर्यटक आवासगृह/होटल/मोटल/रेस्टोरेन्ट/शिल्पग्राम।
2- समस्त अपटुअर्स कार्यालय।
3- समस्त अधिकारी, निगम मुख्यालय।
4- प्रभारी, कम्प्यूटर सेल, निगम मुख्यालय।
5- आदेश पंजिका।

(एस0एन0 राव)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी